भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4765
21 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

पेद्दापल्ली में इरेडिएशन सुविधा की स्थापना

†4765. **श्री वामसि कृष्णा गद्दाम**:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार की तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में फलों और सब्जियों जैसे शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ और निर्यात गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इरेडिएशन सुविधा को वित्तपोषित करने और स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पेद्दापल्ली में दूध, अंडे और सब्जियों जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण और निर्यात को समर्थन देने के लिए शीत भंडारण इकाइयों और रेफ्रिजरेटड परिवहन अवसंरचना को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित समय-सीमा और कार्यान्वयन रूपरेखा क्या है, जिसमें निजी कंपनियों या राज्य सरकार के साथ साझेदारी का ब्यौरा भी शामिल है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) के अंतर्गत स्वयं इरेडिएशन सुविधाएं स्थापित नहीं करता है। बहु उत्पाद खाद्य इरेडिएशन इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए दिनांक 06.08.2024 के मौजूदा शीत श्रृंखला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, स्टैंडअलोन या एकीकृत बहु उत्पाद खाद्य इरेडिएशन इकाइयों की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से और कठिन क्षेत्रों और एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी के प्रस्ताव के मामले में 50% की दर से अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता/सब्सिडी के अध्ययीन है । चूंकि शीत श्रृंखला योजना मांग आधारित है और पूरे देश में लागू की जा रही है, इसलिए तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले सहित राज्यवार या जिलावार या क्षेत्रवार निधि का आवंटन नहीं किया गया है। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले सहित देश भर से बहु-उत्पाद खाद्य इरेडिएशन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की इच्छुक पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है और चालू है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत स्वयं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है। हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई के तहत कोई भी स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रीजिरेटड परिवहन बुनियादी ढांचे की सहायता नहीं की जाती है। हालांकि, शीत श्रृंखला योजना के तहत सहायता प्राप्त व्यक्तिगत शीत श्रृंखला परियोजनाओं में, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रीजरेटड परिवहन बुनियादी ढांचे को अनुदान सहायता/सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्र मदों के रूप में माना जाता है। चूंकि शीत श्रृंखला योजना मांग आधारित है और पूरे देश में लागू की जा रही है, इसलिए तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले सहित राज्यवार या जिलावार या क्षेत्रवार निधि का आवंटन नहीं किया गया है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले सहित देश भर से शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की इच्छुक पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है ।

(ग): मौजूदा शीत श्रृंखला योजना दिशानिर्देशों क्रमशः दिनांक 22.05.2025 और 06.08.2024 के अनुसार शीत श्रृंखला परियोजनाओं और बहु उत्पाद खाद्य इरेडिएशन इकाइयों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा सामान्य क्षेत्रों के मामले में 24 महीने और कठिन क्षेत्रों के मामले में 30 महीने है। कोई भी व्यक्ति/केन्द्रीय एवं राज्य पीएसयू/संयुक्त उद्यम/एनजीओ/सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी)/सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कंपनियां/सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी)/साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म शीत श्रृंखला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाएं हैं।

*****